

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 68/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शंकरलाल पिता गिरधारी गाडरी निवासी डांगड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. देवा पिता मेघा गाडरी निवासी डांगड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मोहन पिता नोला गाडरी निवासी डांगड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. गोमा पिता नोला गाडरी निवासी डांगड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनसिंह पिता नेवलसिंह राजपुत निवासी डांगड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रायमल पिता हजारी बलाई निवासी डांगड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नाथु पिता बेणा बलाई निवासी भैरूखेड़ा, भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 02.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डांगड़ी पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारी की कृषि आराजियात खाता संख्या 161 में अंकित आराजी संख्या 437 रकबा 0.22 हैक्ट., आराजी संख्या 438 रकबा 0.22 हैक्ट., आराजी संख्या 659 रकबा 0.10 हैक्ट., आराजी संख्या 668 रकबा 1.67 हैक्ट., आराजी संख्या 669 रकबा 0.12 हैक्ट., आराजी संख्या 670 रकबा 0.53 हैक्ट., आराजी संख्या 677 रकबा 1.84 हैक्ट., आराजी संख्या 711 रकबा 0.32 हैक्ट., आराजी संख्या 712 रकबा 0.20 हैक्ट., आराजी संख्या 713 रकबा 0.20 हैक्ट., आराजी संख्या 716 रकबा 0.12 हैक्ट., कुल कित्ता 11 कुल रकबा 5.54 हैक्ट. भूमि स्थित है। प्रमाण में वर्तमान नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारो ओर सीमा मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में विपक्षीगण आये दिन दखलदांजी करते रहते हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने, मवेशी चराने व घास काटने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगणों को अपनी आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण आये दिन आज कल में कराने की बात कहकर हर बार टालमबाजी का जवाब देते आ रहे है। व प्रार्थीगण द्वारा अंतिम बार दिनांक 30.06.2018 को विपक्षीगण को उनकी आराजियात की पत्थरगढी करवाने हेतु कहा । परन्तु विपक्षीगण इकार हो गये है, जिससे

प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 23.07.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम डांगड़ी पटवार हल्का झड़ोल के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 437 रकबा 0.22 हैक्ट., आराजी संख्या 438 रकबा 0.22 हैक्ट., आराजी संख्या 659 रकबा 0.10 हैक्ट., आराजी संख्या 668 रकबा 1.67 हैक्ट., आराजी संख्या 669 रकबा 0.12 हैक्ट., आराजी संख्या 670 रकबा 0.53 हैक्ट., आराजी संख्या 677 रकबा 1.84 हैक्ट., आराजी संख्या 711 रकबा 0.32 हैक्ट., आराजी संख्या 712 रकबा 0.20 हैक्ट., आराजी संख्या 713 रकबा 0.20 हैक्ट., आराजी संख्या 716 रकबा 0.12 हैक्ट., कुल कित्ता 11 कुल रकबा 5.54 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 400/- अक्षरे चार सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 2500/- अक्षरे दौ हजार पांच सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा